भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5110
जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्यायालय की भाषा

5110. डॉ. तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे उच्च न्यायालयों का ब्यौरा क्या है जहां हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा को न्यायालयी भाषा या न्यायालय की भाषाओं में से एक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है ;

(ख) भारत में उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को न्यायालय की भाषा बनाने के लिए किन कारकों पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) क्या मंत्रालय को मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को न्यायालय की भाषा या न्यायालय की भाषाओं में से एक भाषा बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल को न्यायालय की भाषा या न्यायालय की भाषाओं में एक भाषा बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : बंगाली, तमिल, हिंदी, गुजराती और कन्नड़ का प्रयोग करने के लिए क्रमश: कलकत्ता, मद्रास, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक उच्च न्यायालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । मंत्रिमंडल समिति ने उसके तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय में यह अपेक्षित किया है कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी से भिन्न भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी । क्रमश: कलकत्ता, मद्रास, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में बंगाली, तमिल, हिंदी, गुजराती और कन्नड़ भाषा के प्रयोग से संबंधित अनुरोध तदनुसार भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित किए गए थे । भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने तारीख 18.01.2016 को यह सूचित किया है कि पूर्ण पीठ ने व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् पूर्व संकल्प, जिसमें सर्वसम्मति से समाधान किया गया था कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, को दोहराते हुए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है ।

****